



राजस्थान आवासन मंडल, जोन जोधपुर, जोधपुर

17-ई/539-540, चौपासनी, जोधपुर :: फोन नं. 0291-2717539 :: e-mail: ace2.rhb@rajasthan.gov.in

क्रमांक: राआम/जोन-II/जोधपुर/2022-23/53

दिनांक: 19.04.2022

बिड आमंत्रण सूचना संख्या - 01/2022-23

राजस्थान आवासन मंडल की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया से बिड आमंत्रित की जाती है। ई-प्रॉक पोर्टल से क्र.सं. 01 से 07 तक के कार्यो हेतु ऑनलाइन दिनांक 26.04.2022 से 16.05.2022 सायं 6:00 बजे तक डाउनलोड एवं अपलोड किये जा सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया में सिविल कार्यो हेतु राजस्थान आवासन मंडल में समुचित वर्ग व अन्य विभागों के एए* एवं ए* श्रेणी एवं विद्युत कार्यो हेतु राजस्थान आवासन मंडल में समुचित वर्ग व अन्य विभागों के E-XY-I श्रेणी के पंजीकृत संवेदक भाग ले सकते हैं।

इच्छुक संवेदकों को ऑनलाइन प्रक्रिया से बिड प्रस्तुत करते समय एकल-बिड पद्धति की स्थिति में पंजीकरण की प्रति, अनुभव प्रमाण पत्र, वस्तु एवं सेवाकर पंजीकरण की सत्यापित प्रति, अंडरटेकिंग एवं परफोर्मा A,B,C,D अपलोड करने होंगे। द्वि-बिड पद्धति की स्थिति में उपरोक्त प्रपत्रों के अतिरिक्त तकनीकी बिड के प्रपत्र 01 से 09 अपलोड करने होंगे। अन्य विभागों में पंजीकृत संवेदकों को बिड सिक्योरिटी हेतु बिड राशि की 1.00 प्रतिशत एवं राजस्थान आवासन मंडल में पंजीकृत संवेदकों को 0.25 प्रतिशत एवं बिड शुल्क की डी.डी. "उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मंडल, वृत्त द्वितीय, जोधपुर" (Dy.H.C., Circle-II, RHB, Jodhpur) के पक्ष में देय है। प्रति कार्य ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु. 1000/- का डी.डी. "एम.डी., आर.आई.एस.एल., जयपुर" के पक्ष में देय है। उक्त तीनों डी.डी., अन्य मूल प्रपत्र, तकनीकी बिड शिड्यूल V, VI, VIII से संबंधित मूल स्टाम्प पेपर्स (नोटरी से सत्यापित), लैटर ऑफ क्रेडिट (शिड्यूल VII) एवं शिड्यूल IX के मूल प्रपत्र, अंडरटेकिंग इत्यादि इस कार्यालय में दिनांक 17.05.2022 को सायं 06:00 बजे तक जमा कराने होंगे।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित बिड राशि (रु. लाखों में)	बिड सिक्योरिटी (रु.)	बिड शुल्क (रु.)	कार्य अवधि (माह)	सम्बन्धित वृत्त/खण्ड कार्यालय	UBN
1.	Construction of MIG -A-42 Nos. (8.00 x 15.00 M) Houses for Board Employees Scheme at MGSAY, Sector-06, Barli, Jodhpur	241.45	241450	3000	12	वृत्त-प्रथम, जोधपुर/ खण्ड-चतुर्थ, जोधपुर	
2.	Construction of HIG-21 and MIG-B-22 Nos. Houses for Board Employees Scheme at MGSAY, Sector-06, Barli, Jodhpur	299.27	299270	3000	12	वृत्त-प्रथम, जोधपुर/ खण्ड-चतुर्थ, जोधपुर	
3.	Construction of HIG-31, MIG-B-07 and MIG-A-17 Nos. Houses at Sector-04, Manpur Housing Scheme Abu Road	349.76	349760	3000	12	वृत्त-द्वितीय, जोधपुर/ खण्ड-पाली	
4.	Const. of HIG-48 Nos. Houses for Board Employees at Patel Nagar Extn., Bhilwara	392.30	392300	3000	12	वृत्त-उदयपुर/ खण्ड-भीलवाड़ा	
5.	Construction of MIG-B-30 and MIG-A-08 Nos. Houses for Board Employees at Patel Nagar Extn., Bhilwara	203.80	203800	3000	12	वृत्त-उदयपुर/ खण्ड-भीलवाड़ा	
6.	Demarcation of land and const. of WBM road in main, sector dividing, peripheral and internal road at Sector - 1 to 5, Shivbari Housing Scheme, Bikaner	575.43	575430	3000	12	वृत्त-बीकानेर/ खण्ड-प्रथम, बीकानेर	
7.	Demarcation of land and const. of WBM road in main, sector dividing, peripheral and internal road at Sector - 6 to 11, Shivbari Housing Scheme, Bikaner	655.60	655600	3000	12	वृत्त-बीकानेर/ खण्ड-प्रथम, बीकानेर	

क्रम संख्या 01 से 07 तक के कार्यो की बिड द्वि-बिड पद्धति से आमंत्रित की गई है। क्रम संख्या 01 से 07 तक के कार्यो की तकनीकी बिड दिनांक 18.05.2022 को प्रातः 11:00 बजे व वित्तीय बिड दिनांक 25.05.2022 को प्रातः 11:00 बजे आवासीय अभियन्ता, ई-प्रॉक प्रकोष्ठ (मु0), रा.आ.मं., जयपुर में ऑनलाइन खोली जाएगी। ऑनलाइन बिड हेतु वांछित प्रपत्र भौतिक रूप से तीन पृथक-पृथक कवर में प्रस्तुत करने होंगे। तकनीकी बिड में योग्य पाये जाने वाले संवेदकों के ही वित्तीय बिड के कवर खोले जायेंगे। बिड प्रपत्र के सम्बन्ध में अन्य जानकारी सम्बन्धित खण्ड-कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है। बिड खोलने की तिथि को अवकाश होने की स्थिति में आगामी कार्य दिवस को बिड खोली जावेगी। सशर्त बिड स्वीकार नहीं की जाएगी।

बिड से सम्बन्धित समस्त विवरण विभागीय वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb एवं ऑनलाइन पोर्टल <https://eproc.rajasthan.gov.in> एवं sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

* अन्य विभागों में "एए" श्रेणी के पंजीकृत संवेदक रुपये 1.50 करोड़ से अधिक के कार्यो की बिड में ही भाग ले सकेंगे।

नोट: बिड शुल्क एवं ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क पर नियमानुसार 18 प्रतिशत जी.एस.टी. जोड़कर डी.डी. प्रस्तुत करना होगा।

(विजय अग्रवाल)

अति. मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, जोधपुर

(9983309405)